

अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 89 - DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	7843,95,00		
		7843,97,00	4072,98,48	-3770,98,52
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			3003,16,16

पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	88,30,00		
		88,31,00	40,12,66	-48,18,34
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			46,91,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुईं/हुए:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	9875.00		
पू.	S.	1.00	11059.45	10620.66
पु.	R.	1183.45		-438.79

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3425”	Major Head “3425”			
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research			
मू.	O.	774520.00		
पू.	S.	1.00	473021.39	396677.82
पु.	R.	-301499.61		-76343.57

(I) ₹202101.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹202100.00 लाख को मुख्य शीर्ष “3425” - “अन्य” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किया गया:-

(का) “अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन” - ₹200000.00 लाख - अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के लिए अधीनस्थ विधानों को अंतिम रूप न देने के कारण।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-अनुसंधान और विकास” - ₹1050.00 लाख - सीएनए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता, अनुदानप्राप्त संस्थान द्वारा कम धन का उपयोग किए जाने और नए सीएनए मॉड्यूल के साथ अनुकूलन में धीमी प्रगति होने के कारण।

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-अनुसंधान एवं विकास” - ₹1050.00 लाख - सीएनए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धनराशि की आवश्यकता के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष “3425” के अंतर्गत - निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुई:-

(I) Provision of ₹202101.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilised under four heads; of these ₹202100.00 lakhs accounted for under Major Head “3425” - “Others” - under the following heads:-

(A) “Assistance to Other Scientific Bodies - National Research Foundation” - ₹200000.00 lakhs - due to non-finalisation of sub-ordinate legislations for Anusandhan National Research Foundation (ANRF).

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes-Research and Development” - ₹1050.00 lakhs - due to requirement of less funds by implementing agencies through CNA, utilisation of less funds by grantee institution and slow progress in making compatible with the new CNA module.

(C) “Tribal Area Sub-Plan-Research and Development” - ₹1050.00 lakhs - due to requirement of less funds by implementing agencies through CNA.

(II) Under Major Head “3425” - savings occurred under the following heads:-

(का) “भारतीय सर्वेक्षण विभाग – निदेशन और प्रशासन – भारत के महासर्वेक्षक” – ₹4673.84 लाख की बचत (₹41425.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नवनियुक्त अधिकारियों के त्यागपत्र, उपकरण की श्रेणी के कारण द्वितीय एवं तृतीय चरण कंटीनुअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन (सीओआरएस) के भुगतान को पूंजीगत शीर्ष में स्थानांतरित करने के निर्णय तथा समूह ‘क’ रक्षा संकाय अधिकारियों को रक्षा मंत्रालय को अभ्यर्पित किए जाने और चालू अनुरक्षण संकायों के संबंध में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अन्य” –

(क) “अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” –

(i) “वैज्ञानिक संस्थानों/पेशेवर निकायों/स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सहायता” – ₹1239.48 लाख की बचत (₹156000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एससीटीआईएमएसटी), त्रिवेंद्रम के नए अस्पताल के लिए उच्च मूल्य की पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद की बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अधिप्राप्ति को अगले वित्तीय वर्ष में स्थानांतरित करने के कारण हुई।

(ii) “विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण” – ₹66566.99 लाख की बचत (₹102240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी क्षेत्र में वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन, सीएनए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता, अनुदान प्राप्त संस्थानों द्वारा अपेक्षित अनुपालन की पूर्ति न करने और महत्वपूर्ण परियोजनाओं/आवेदनों के कम चयन के कारण हुई।

(A) “Survey of India - Direction and Administration - Surveyor General of India” - saving of ₹4673.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41425.00 lakhs) was due to resignation of newly recruited officers, decision to shift the payment of 2nd and 3rd Stage Continuous Operating Reference Station (CORS) to capital head owing to the category of the equipment, surrender of group ‘A’ Defence stream officers to Ministry of Defence and less utilisation of funds by CPWD towards undertaking of Running maintenance operations.

(B) “Others” -

(a) “Assistance to Other Scientific Bodies” -

(i) “Assistance to Scientific Institutions/ Professional Bodies/Autonomous R&D Institutions” - saving of ₹1239.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹156000.00 lakhs) was due to cancellation of bidding process of purchase of high value capital assets for the new hospital of Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences (SCTIMST), Trivandrum and shifting of procurement to the next financial year.

(ii) “Science and Technology Institutional and Human Capacity Building” - saving of ₹66566.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹102240.00 lakhs) was due to conduction of less training programmes of Scientists and Technologists in Government Sector, requirement of less funds by implementing agencies through CNA, non-fulfilment of requisite compliances by the grantee institutes and less selection of the meritorious projects/applications.

- (iii) “नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन” – ₹28801.64 लाख की बचत (₹37170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएनए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता, योजना को जारी रखने के लिए व्यय वित्त समिति के अनुमोदन में देरी, कम जनशक्ति और धन प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के कारण टीआरसी परियोजनाओं के कार्यान्वित न होने के कारण हुई।
- (iv) “अनुसंधान एवं विकास” – ₹45761.18 लाख रुपये की बचत (₹48375.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएनए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता और अंतर्राष्ट्रीय संधि को अंतिम रूप देने में विलंब की वजह से निधियां जारी न हो पाने के कारण हुई।
- (ख) “अन्य योजनाएँ” –
- (i) “अंतर-विषयी साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन” – ₹11500.02 लाख की बचत (₹52100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मिशन सचिवालय की स्थापना न होने और सीएनए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धन की आवश्यकता के कारण हुई।
- (ii) “प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड” – ₹9530.00 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएनए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धनराशि की आवश्यकता और पिछले वर्षों के अप्रयुक्त शेष की उपलब्धता के कारण हुई।
- (iii) “Innovation, Technology Development and Deployment” - saving of ₹28801.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37170.00 lakhs) was due to requirement of less funds by implementing agencies through CNA, delay in approval of Expenditure Finance Committee for continuation of the scheme, less manpower and non-implementation of TRC projects owing to revised procedure of flow of funds.
- (iv) “Research and Development” - saving of ₹45761.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹48375.00 lakhs) was due to requirement of less funds by implementing agencies through CNA and non-release of funds owing to delay in finalisation of International Treaty.
- (b) “Other Schemes” -
- (i) “National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System” - saving of ₹11500.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52100.00 lakhs) was due to non-establishment of mission secretariat and requirement of less funds by implementing agencies through CNA.
- (ii) “Technology Development Board” - saving of ₹9530.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by implementing agencies through CNA and availability of unspent balance of previous years.

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

- (i) “विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थागत तथा मानव क्षमता निर्माण” – ₹2250.00 लाख की बचत (₹2950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ii) “नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन” – ₹9832.30 लाख की बचत (₹9850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत, सी.एन.ए. के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धनराशि की आवश्यकता, अनुदानप्राप्त संस्था द्वारा कम धनराशि का उपयोग तथा नए सी.एन.ए. मॉड्यूल के साथ अनुकूलता बनाने में धीमी प्रगति के कारण हुई।

- (iii) “अंतर-विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन” – ₹3000.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

- (i) “विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण” – ₹1250.00 लाख की बचत (₹1650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत, सीएनए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

- (ii) “नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन” – ₹5789.52 लाख की बचत (₹5840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएनए के माध्यम से कार्यान्वयन

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

- (i) “Science and Technology Institutional and Human Capacity Building” - saving of ₹2250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2950.00 lakhs); and
- (ii) “Innovation, Technology Development and Deployment” - saving of ₹9832.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9850.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds by implementing agencies through CNA, utilization of less funds by the grantee institution and slow progress in making compatible with the new CNA module.

- (iii) “National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems” - saving of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs); and

(d) “Tribal Area Sub-Plan” -

- (i) “Science and Technology Institutional and Human Capacity Building” - saving of ₹1250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds by implementing agencies through CNA.

- (ii) “Innovation, Technology Development and Deployment” - saving of ₹5789.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5840.00

एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता हाने, अनुदानप्राप्त संस्था द्वारा कम निधियों का उपयोग करने और नए सीएनए मॉड्यूल के अनुकूलता बनाने में धीमी प्रगति के कारण हुई।

lakhs) was due to requirement of less funds by implementing agencies through CNA, utilisation of less funds by grantee institution and slow progress in making compatible with the new CNA module.

(ड.) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अनुसंधान और विकास” – ₹4552.24 लाख की बचत (₹8725.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएनए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(e) “International Co-operation - Research and Development” - saving of ₹4552.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8725.00 lakhs) was due to requirement of less funds by implementing agencies through CNA.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1224.83 लाख की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक थी।

(III) Under three heads savings of ₹1224.83 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 42 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचत को आंशिक रूप से (₹20150.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया, जैसाकि मुख्य शीर्ष “3425” – “अन्य – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड” के अंतर्गत दिसंबर, 2023 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹20150.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2023 under Major Head “3425” - “Others - Assistance to Other Scientific Bodies - Science and Engineering Research Board”.

(II) बचत मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग” के अंतर्गत अधिक व्यय से भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹750.59 लाख का अधिक व्यय (₹9625.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोगिता बिलों, परियोजना प्रबंधन इकाई के कर्मचारियों की नियुक्ति, विज्ञान सदन में सुविधा प्रबंधन सेवाओं और विदेश मंत्रालय से विदेशी दौड़ों के लिए अधिक दावों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Science and Technology” - excess of ₹750.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9625.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards utility bills, hired staff of Project Management Unit, Facility Management Services at Vigyan Sadan and receipt of more claims towards foreign tours from Ministry of External Affairs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुई:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "5425"	Major Head "5425"				
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	8830.00			
पू.	S.	1.00	4140.00	4012.66	-127.34
पु.	R.	-4691.00			

(I) "निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय" के अंतर्गत – ₹1142.91 लाख की बचत (फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1526.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्यावरणीय एवं प्रशासनिक कारणों से नए भवन के निर्माण में देरी के कारण हुई।

(I) Under "Direction and Administration - Secretariat" - saving of ₹1142.91 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1526.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2024) was due to delay in construction of new building owing to environmental and administrative reasons.

(II) "भारतीय सर्वेक्षण" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुई:-

(II) Under "Survey of India" - savings occurred under the following heads:-

(का) "भवन" – ₹1135.93 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; तथा

(A) "Buildings" - saving of ₹1135.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

(खा) "उपकरण" – ₹2329.75 लाख की बचत (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Equipment" - saving of ₹2329.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs).

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचतें, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में की गई कटौती के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.